न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2011

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेंटस
रेवन्तसिंह पुत्र मूलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मालदेता (गिड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर		राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 5.5.2011 द्वारा उप तहसीलदार गिड़ा

उपस्थित– 1. श्री दलपतसिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेट की ओर से।

आदेश **दिनांक 26.4.2017**

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने नैनाराम पुत्र चूनाराम से मौजा गिड़ा के खेत खसरा नंबर 99/4 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 527 दिनांक 5.8.2008 जरिये राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त 3 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन तहसीलदार बायतु के आदेश दिनांक 27.9.2009 से करवाया गया। उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 1/2011 दर्ज कर तथ्यो की जांच किये बिना ही अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। अपीलांट की ओर से श्री दलपतसिंह अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि मौजा गिड़ा के खेत खसरा नंबर 99/4 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेजात खरीदी गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 527 दिनांक 5.8.2008 जरिये राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त 3 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन तहसीलदार बायतु के आदेश दिनांक 27.9.2009 से करवाया गयाा। अपीलांट द्वारा जिस भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया था उसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा सड़क पर अतिक्रण करने का आरोप लगाते हुए अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालाय में प्रकरण संख्या 1/2011 दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। सर्वप्रथम अपीलान्ट को इस विभाजन आदेश का दिनांक 9.5.2011 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 1/2011 में अपीलांट को सड़क पर अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया। पारित आदेश विधिक प्रक्रिया अनुसार उचित होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा मौजा गिड़ा के खेत खसरा नंबर 99/4 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड देस्तावेजात के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खरीदी। जिस पर निर्माण कार्य करने के दौरान् पास की सडक पर अतिक्रमण किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 1/2011 दर्ज करवाया गया। उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर आदेश दिनांक 5.5.2011 से बेदखली के आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश विधिक प्रक्रिया अनुसार सही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.5.2011 यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 26.4.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)